रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 1972/वैशाख 6, 1894
No. 91] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 1972/VAISAKHA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th April, 1972

SUBJECT.—*Import of raw materials, components and spares by priority units in the small sector during April* 1972—*March* 1973.

No. 60-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the provisions contained in Appendix 68 in Section V of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for April 1972—March 1973 regarding import of raw materials, components and spares by S.S.I. units in the priority sector for the period April 1972—March 1973.

2. The following points are clarified in this connection:—

(a) The existing units should make their import applications for raw materials and components on the basis of consumption and for import of spares, in the usual manner as laid down in Section I of the Red Book (Vol. I) for April 1972—March 1973.

(b) The new/proposed units should apply for import of raw materials, components and spares on the basis of value of machinery in the manner as indicated in paragraphs 4—6 of the aforesaid Appendix 68. This will enable new units to meet their requirements pending assessment of capacity.

(c) Except in the case of I.D.A. industries, applications for steel and non-steel items should be made separately to the respective licensing authorities. The existing units have to apply direct to the licensing authority concerned whereas new/proposed units have to apply through the sponsoring authority.

3. The existing and new units can also separately apply for assessment of their capacity under paragraphs 2 and 3 of the aforesaid Appendix 68. The procedure to be followed in this regard will be as under:—

(i) The application for assessment of capacity should reach the sponsoring authority concerned by 15th May, 1972.

(ii) The information required for the purpose of assessment is indicated in the Annexure to the said Appendix 58 which should be furnished in duplicate by the applicant in the form of a statement duly signed by him.

(iii) No application fees will be payable in respect of application for assessment of capacity.

4. The assessment of capacity will be made both in respect of steel and non-steel items and the value in respect of each set of limits i.e., steel and non-steel will be indicated separately along with the description of items permissible for import.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1972

विषय.—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के दौरान लघु पैमाने क्षेत्र के प्राथमिकता प्राप्त एककों द्वारा कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों का आयात ।

संख्या 60-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा० 1) के खंड 5 के परिशिष्ट 68 में अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 अवधि के लिए प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लघु पैमाने उद्योगों के एककों द्वारा कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिए निहित व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. इस संम्बन्ध में निम्नलिखित बातें स्पष्ट की जाती हैं:—

(क) वर्तमान एककों को चाहिए कि वे कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए उपयोग के आधार पर और फालतू पुर्जों के आयात के लिए अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के लिए रैडबुक (वा० 1) के खंड 1 में यथा निर्धारित सामान्य विधि के अनुसार अपने आयात आवेदन पत्र भेजें ।

(ख) नए/प्रस्तावित एककों को चाहिए कि वे उपर्युक्त परिशिष्ट 68 की कंडिका 4 से 6 में संकेतित किए गए के अनुसार कच्चे माल संघटकों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिए मशीन के मूल्य के आधार पर आवेदन करें । यह नए एककों को क्षमता के मूल्यांकन की लम्बित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाएगा ।

(ग) आई० डी० ए० उद्योगों के मामले के अतिरिक्त, इस्पात तथा गैर इस्पात मदों के लिए आवेदन, सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को अलग अलग किए जाने चाहिएं। वर्तमान एककों को सम्बद्ध लाइसेंस प्रधिकारी को सीधे आवेदन करना चाहिए जबकि नए प्रस्तावित एककों को प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से आवदन करना चाहिए।

3. वर्तमान तथा नए एकक उपयुक्त परिशिष्ट 68 की कंडिका 2 तथा 3 के अधीन अपनी क्षमता के मूल्यांकन के लिए अलग अलग आवेदन भी कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में जो क्रियाविधि अपनाई जाएगी वह इस प्रकार है :—

(1) क्षमता के मूल्यांकन के लिए आवेदन-पत्र सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी को 15-5-1972 तक पहुंच जाने चाहिए।

(2) मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित जानकारी जो उपर्युक्त परिशिष्ट 68 के लिए अनुबन्ध में संकेतित है, आवदक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित विवरण की दो प्रतियों के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(3) क्षमता के मूल्यांकन के लिए आवेदन-पत्रों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

4. क्षमता का मूल्यांकन इस्पात तथा गैर इस्पात दोनों के संम्बन्ध में मूल्य किया जायगा और मदों के प्रत्येक सेट अर्थात् इस्पात तथा गैर इस्पात के सम्बन्ध में मूल्य को, आयात के लिए स्वीकृत मदों के विवरण के साथ अलग अलग संकेतित किया जाएगा।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972